414
18.9.15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R 5061-पी/15

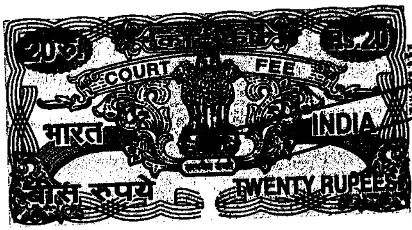

Rs. 20/-

बालकरण तनय रामनिवास शुक्ला निवासी ग्राम अमरपाटन तह0 अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0) ——— आवेदक

बनाम

संतोष कुमार तनय शारदा प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम अमरपाटन तह0 अमरपाटन जिला रीवा (म0प्र0) ——— अनावेदक

रजनीश मिश्रा द्वारा आज दिनांक 18.9.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 34अ–12/14–15में पारित किये गये सीमांकन पुष्टीकरण आदेश दिनांक 25/7/15 के विरूद्ध निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि आराजी नं0 688 रकवा 0.049हे0 स्थित ग्राम अमरपाटन तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 आवेदक की पैतृक सम्पत्ति है , इसी भूमि पर आवेदक एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आबादी बनी हुई है तथा आम निस्तार है।

2– यह कि अनावेदक की भूमि नं0 689/1/क/1 रकवा 0.125 हे0 स्थित ग्राम अमरपाटन तह0 अमरपाटन जिला सतना है जिसका तीन ... है, इसी आराजी के सीमांकन हेतु अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5061–दो/15 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण कमांक 34/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.7.2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी न0 688 रकवा 0.049 है0 स्थित ग्राम अमरपाटन तहसील अमरपाटन जिला सतना में स्थित आवेदक की पैतृक संपत्ति है इसी भूमि पर आवेदक एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आबादी बनी हुई है तथा आम निस्तार है। अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक की भूमि न0 689/1/क/1 रकवा 0.125 है0 स्थित ग्राम अमरपाटन तहसील अमरपाटन जिला सतना है जिसका तीन टुकडों में विभाजन है, इसी आराजी के सीमांकन हेतु अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल अमरपाटन जिला सतना को आवेदन किया गया था परन्तु राजस्व निरीक्षक ने केवल एक टुकडें का सीमांकन किया गया शेष 2	

टुकडों के संबंध में न तो कोई विवरण दिया गया और न ही सीमांकन किया गया। सीमांकन हेतु आवेदन आवेदित भूमि के संपूर्ण रकवा 0.125 है0 हेतु दिया गया था परन्तु भूमि के एक टुकड़ा जिसका रकवा 0. 036 है0 कहा गया है का सीमांकन किया गया और आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि नत्र 688 रकवा 0.49 है0 में दबता रकवा 0.006 है0 बताया गया ऐसा सीमांकन अवैध एवं आवेदक के हितों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 25.7.15 निरस्त किया जावे जिससे आवेदक को न्याय दान मिल सके।

3— मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अंपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि संतोष कुमार त्रिपाठी तनय श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम अपर पाटन के द्वारा ग्राम अमरपाटन स्थित आराजी न0 689/1/क/1 रकवा 0. 125 है0 का आवेदन सीमांकन हेतु प्राप्त हुआ था । सीमांकन हेतु दल गठित किया जाकर सीमांकन कराया गया जिस पर सभी सीमावर्ती कास्तकारों को सूचना दी गई । सीमांकन उपरांत रामनिवास शुक्ला द्वारा की

आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण मौके पर ही कर दिया गया था। राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के सभी प्रावधानों का पालन करते हुये विधि संगत सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जिससे उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः राजस्व निरीक्षक प्रकरण कमांक 34 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.7.2015 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य